क्रम संख्या–26 (क)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017 ई0

चैत्र 17, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 110/XXXVI (3)/2017/78(1)/2016

देहरादून, 07 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) (संशोधन) विधेयक, 2016** " पर दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन) अधिनियम, 2016

(अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2017)

उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 6क का अंतःस्थापन 2 उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 में धारा 6 के पश्चात् एक नई धारा 6क निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात–

"**6क** (1) प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अथवा उसके पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य में अपना व्यापार प्रारम्भ या संचालित कर रहा हो, ऐसे व्यापार को संचालित करने व उसके प्राधिकारी के सम्बन्ध में बिवरण उल्लिखित करते हुए राज्य में वित्तीय अधिष्ठान और उसकी मुख्य शाखा कार्यालय की स्थिति जहां वह स्थापित है, यदि कोई हो, राज्य में वित्तीय अधिष्ठान के व्यापार या मामलों के संचालन हेतु प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के स्थाई पते और ऐसे अन्य विवरण जैसा विहित किया जाय, जिला कलेक्टर तथा जिले के पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसी रिपोर्ट राज्य में वित्तीय अधिष्ठान के अपने व्यापार को संचालित करने या प्रारम्भ करने पर सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी;

परन्तु यह कि कोई वित्तीय अधिष्ठान जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व ऐसे व्यापार को संचालित कर

रहा है, ऐसी रिपोर्ट ऐसे प्रारम्भ की तारीख से सात दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान अपने व्यापार और वित्तीय स्थिति, उसके विनिवेश का क्षेत्र और राज्य के भीतर तथा बाहर किए गए धन के विनिवेश की स्थिति तथा ऐसे अन्य विवरण जैसा विहित किया जाय, किसी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर एक माह के भीतर त्रैमासिक विवरण जिला कलेक्टर और जिले के पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायेगा।

(4) जो कोई इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से जो के पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।''

आज्ञा से,

भारत भूषण पाण्डेय,
अपर सचिव।

No. 110/XXXVI(3)/2017/78(1)/2016
Dated Dehradun, April 07, 2017

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (In Financial Establishments) (Amendment) Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 02 of 2017).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 April, 2017.

THE UTTARAKHAND PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) (AMENDMENT) ACT, 2016

(Uttarakhand Act No. 02 of 2017)

An

Act

further to amend the Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (In Financial Establishments) Act, 2005;

Enacted by the Uttarakhand legislative assembly in the year of 67th of Indian Republic as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This act may be called the Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (In Financial Establishments) (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force at once.

Insertion of section 6-A

2. In the principal act after section 6 a new section 6-A shall be inserted as follows; namely-

"6-A. **(1)** Every Financial Establishment which commences or carries on its business as such in the State of Uttarakhand on or after the commencement of this Act shall make a report to the District Collector and the Superintendent of Police of the district, mentioning the details about its authority to carry on such business, the location of the Financial Establishment in the State and its main Branch Office, if any, wherever situated, permanent address of every person responsible for the management of, or conducting of the business or affairs of, the Financial Establishment in the State and such other particulars as may be prescribed.

(2) Such report shall be made within seven days from the date on which a Financial Establishment commences or carries on its business as such in the State:

Provided that a Financial Establishment which has been carrying on its business as such prior to the

commencement of this Act make such report within seven days from the date of such commencement.

(3) Every Financial Establishment shall furnish a quarterly return within one month of the expiry of each quarter of a financial year to the District Collector and the Superintendent of Police of the district in respect of its business and financial position, the area of its investment and the location of investment of moneys made by it within and outside the State, if any, and such other particulars as may be prescribed.

(4) Whoever contravenes the provisions of this section shall be punished with fine which may extend to fifty thousand rupees."

By Order,

BHARAT BHUSHAN PANDEY,

Additional Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधायी/231–2017–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।